राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2018–19/अलेसे–।।/ 2472 दिनांकः– 21/01/19

आदेश संख्या ...108../2018–19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013–14) की सिफारिशों के आधार पर श्री दीपक अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 731/88, लिंक नं. 4572) जन्म तिथि 20 जून, 1967 (पात्रता सूची क्रमांक 486) का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 में विचारधीन प्रकरण बकाया होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री दीपक अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध लंबित उक्त उल्लिखित जांच के संबंध में विभागीय आदेश संख्या एफ.1(सी) 1552/ जांच/ 2012/ 146–48 दिनांक 29.05.2018 द्वारा भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की लिखित चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त होने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे–3600/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री दीपक अग्रवाल (मेरिट सं. 731/88) की वरिष्ठता श्री संजय कुमार जैन, (मेरिट सं. 730/88) एवं श्री किशन लाल (मेरिट सं. 732/88) के मध्य रहेगी।

श्री दीपक अग्रवाल को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की प्रभावी तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री दीपक अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान पदस्थापित कार्यालय आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर का पदोन्नति पर पदस्थापन आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के रिक्त पद पर एतद् द्वारा किया जाता है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2013–14/अलेसे–।।/ 2472 दिनांकः– 21/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री..सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II कार्यालय................. .... ।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

E:\sas-ii\KHANNA JI